



प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,

सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 07.09.2026

विषय:- उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में मेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किशत की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1375/ई/यू०पी०यू०एम०एस०/एफ०एण्डए० 121 सीडी/2026-27 दिनांक-16.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-031 के अधीन राजस्व लेखा शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-28-रूल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा में मेडिकल कालेज की स्थापना मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 17000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में ₹ 4250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-031 के अधीन राजस्व लेखा शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-28-रूल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा में मेडिकल कालेज की स्थापना मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 17000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में रुपये 4250.00 लाख (रुपये बयालीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किशत निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,50,00,000 (रुपये बयालीस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050328 रूल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-79/दस-2026-27 दिनांक 24-08-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,50प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,50प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, 50प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 50प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, 50प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 50प्र0 शासन।
9. नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 50प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

